

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

कार्यालय आदेश

बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 एवं बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में सहकारिता विभाग (निदेशालय प्रभाग सहित) में कार्यरत इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण समूह "घ" के कर्मी श्री देवानन्द शर्मा, कार्यालय परिचारी को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अपुनरीक्षित बैण्ड वेतन 5200-20200 ग्रेड वेतन-1900, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-2 में सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति प्रदान करते हुए कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

2. इन्हें प्रथम वेतन वृद्धि के उपरांत अगली वेतन वृद्धि तबतक देय नहीं होगी जबतक की उनके द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा एवं हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लिया जाय। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर उनकी सेवा सम्पुष्ट की जाएगी।
3. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर योगदान की तिथि से देय होगा।
4. यह सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस.एल.पी. (सी.) संख्या-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

ह./-
(ऋचा कमल)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक...../पटना, दिनांक
02/सह.कार्या.परि. (प्रोन्नति)-04/13
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय
कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

ह./-
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक...../पटना, दिनांक
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना/अपर सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/प्रधान सचिव के
प्रधान आप्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सहायक निबंधक
(अ.र.)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-
सरकार के उप सचिव।

प्रतिलिपि:-

ज्ञापांक 3101 / पटना, दिनांक 22/09/2017

आई.टी. मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना एवं श्री देवानन्द शर्मा,
निम्नवर्गीय लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/17

सरकार के उप सचिव।